उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 15-9-87 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1987 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री आन गुकरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2- श्री योगेश बंसल		सदस्य
3- श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
4- श्रीमती नीरा यादव	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्या
5- श्री राम बाबू	विशेष सचिव, आवास (सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
6- श्री पी0के0मिश्रा	संयुक्त सचिव, वित्त (सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री जे0पी0भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
8- श्री नागिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
9- श्री राम आसरे प्रसाद	संयुक्त आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 18-5-87 को हुई बैठक	चतुर्थ/(1)/87	दिनांक 18-5-87 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 18-5-87 की अनुपालन आख्या	चतुर्थ/(2)/87	परिषद द्वारा दिनांक 18-5-87 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया। यह भी कहा गया कि अगली बैठक परिषद की गत 3 बैठकों के प्रत्येक मद की अनुपालन आख्या तथा पिछले दो वर्षों में हुई बैठकों के उन बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये जिनका पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हुआ है।
3-	वर्ष-1987-88 के लिये प्रस्तावित आय-व्ययक पर टिप्पणी।	चतुर्थ/(3व4)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से वर्ष-1987-88 के लिये प्रस्तावित संशोधित आय-व्ययक को स्वीकृति प्रदान की गयी।
4-	वर्ष-87-88 में निर्मित किये जाने वाले लक्ष्यों पर टिप्पणी।		1-क- इस तरह से पूर्व में जो परिषद द्वारा रू0 150 करोड़ का आय-व्ययक स्वीकृत किया गया था अब रू0 130 करोड़ का हो गया।
			2-ख- श्री मिश्रा ने अवगत कराया कि शासन की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए आवास परिषद को 25 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत होना संभव नहीं हो पायेगा। उनके विचारानुसार 8-10 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत होने की संभावना है।
			श्री राम बाबू द्वारा श्री मिश्रा के उपरोक्त मत का समर्थन किया गया। आवास आयुक्त

1	2	3	4
			व्दारा सूचित किया गया कि शासन से 25 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है तथा समुचित अधिकारियों से व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श भी कर लिया गया है। तदनुसार परिषद व्दारा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से 25 करोड़ के ऋण की धनराशि में जो कटौती की जायेगी उसके अनुसार ही परिषद के आय-व्यय के बजट में कटौती समझी जायेगी। सदस्यों व्दारा परिषद व्दारा अद्यावधिक बैलेन्सशीट तैयार न करने तथा ठीक ढंग से वित्तीय लेखे न रखे जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बैलेन्सशीट को शीघ्रातिशीघ्र अद्यावधिक कर लिया जाये तथा परिषद को वित्तीय लेखों के बारे में विस्तारपूर्वक टिप्पणी परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।
			2-ख- परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि परिषद के खाते में डबल इन्ट्री सिस्टम लागू करने तथा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जाये।
			3- परिषद व्दारा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से रु० 25 करोड़ उपलब्ध न हो सके तो तदनुसार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों में संशोधन करना होगा। इसके लिये शासन को सूचित कर दिया जाये।
			4- यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी लेखे की प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर-87 तक अद्यावधिक करालें।
			/5- आवास आयुक्त व्दारा परिषद के कार्यों में आवश्यक सुधार लाने हेतु जारी किये गये आदेशों का अनुमोदन करते हुये परिषद व्दारा यह विचार व्यक्त किया गया कि सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों के रिक्त पदों पर अब अभियन्ताओं की नियुक्ति न की जाय। अस्तु जहां कार्य के हित में अत्यधिक आवश्यक हो वहां किसी सहायक अभियन्ता को अस्थायी रूप से प्रभारी अधिकारी बनाकर नियमित नियुक्ति होने तक कार्य सम्पन्न करा लिया जाय।
5- पंजीकरण खोलने हेतु अनुमोदन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(5)/87		परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन नगरों में पंजीकरण कम थे और भवन अधिक बना दिये गये हैं इसकी जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। इसके लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन आवास आयुक्त व्दारा अध्यक्ष जी से परामर्श करके किया जायेगा तथा समिति व्दारा दो माह के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।
6- बिना सहमति के सम्पत्ति के आवंटन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(6)/87		परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन नगरों में कई योजनायें हैं और वहां पर बिना सहमति के आवंटन किया जाता है और आवंटी यदि आवंटन के एक माह के अन्दर उस नगर के उस आवंटन से असहमति दे कि वह उस योजना में सम्पत्ति नहीं चाहता है एवं अन्य योजना में ही चाहता है तो उनका प्रदेशन निरस्त करके बिना किसी कटौती के पंजीकरण यथावत रखा जाये तथा जिस योजना में वह सहमति दे उसे उसी योजना के लिये आवंटन होने पर लाटरी द्वारा नियमानुसार शामिल किया जाये।

1	2	3	4
7-	परिषद व्दारा सं०-प्रथम/(59)/87 दिनांक 12-3-87 व्दारा लिये गये निर्णयानुसार कम्पाउडिंग तालिका को व्यवहारिक बनाने हेतु किये जाने वाले विनियमावली में संशोधन।	चतुर्थ/(7)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इसका अध्ययन कर परिषद की अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट रखें।
8-	स्वयं वित्त पोषित योजना में कटोती के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(8)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	पंजीकरण धनराशि के अन्तर की धनराशि को जमा करने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 31-10-87 तक बढ़ाये जने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(9)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त तिथि के उपरान्त यदि आवास आयुक्त उचित समझे तो पंजीकरण धनराशि के अन्तर की धनराशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर-87 तक अध्यक्ष जी से विचार विमर्श कर बढा सकते हैं।
10-	परिषद में ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु वर्ष-1984 में अपनायी गयी विनियमावली में संशोधन हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	चतुर्थ/(10)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इसका अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में रखें।
11-	परिषद में उप आवास आयुक्त के पद के सृजन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ?/11)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि उप आवास आयुक्त एवं सहायक आवास आयुक्त के स्वीकृत पदों की संख्या यथावत रहेगी।
12-	परिषद व्दारा भवन निर्माण तथा भवन क्रय आदि हेतु स्वीकृत ऋण पर देय व्याज दर में संशोधन तथा इस मद हेतु एक रिवाल्विंग फन्ड के सृजन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(12)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13-	लखनऊ-रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 लखनऊ(क्षेत्रफल-1050-22 एकड़ अनुमानित लागत रु० 2,978-00 लाख)	चतुर्थ/(13)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि धारा-28 की नोटिस के प्रकाशन की तिथि के बाद में निर्मित भवनों को अर्जन से मुक्त न किया जाये।
14-	इन्दिरानगर योजना, देहरादून के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग को प्रदिष्ट भूमि दर के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(14)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन को स्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः पत्र लिखा जाये कि यदि शासन के अर्धशासकीय पत्र सं०-पी०एस०-68 न०-वि० सं०-87 दिनांक जनवरी-3 1987 अनुपालन किये जने हेतु परिषद को 12,85,566/- की वित्तीय हानि होगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों व्दारा इसी प्रकार की छूट की मांग की जयेगी। अतः शासन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करलें अन्यथा शासन से अनुरोध किया जाये कि वह उपरोक्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करने की कृपा करें।
15-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष-1986-87 के अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(15)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

1	2	3	4
16-	हापुड मार्ग पर भूमि विकास एवं बाजार योजना सं0-2 मोदीनगर (क्षेत्रफल 164 एकड़-अनुमानित लागत रु0 4,75,04,019-99) का परित्याग।	चतुर्थ/(16)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अध्यक्ष जी व्दारा दी गयी संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
17-	संभल गेट योजना सं0-1, चन्दौसी मुरादाबाद की 30-74 एकड़ भूमि में से कुल 20-10 एकड़ भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(17)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अध्यक्ष जी व्दारा दी गयी संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
18-	परिषद की फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 फिरोजाबाद के परित्याग के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(18)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि परिषद को फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 से बेहतर कोई भूमि उपलब्ध हो तो उसका सर्वेक्षण करके इसे प्रस्तावित किया जाये और यदि दूसरी भूमि उपलब्ध न हो तो इसी योजना की उस भूमि को पुनः विज्ञापित किया जाये जो स्पष्ट रूप से रिक्त है तथा उन पर परिषद बिना किसी रूकावट के सुचारु रूप से भवन निर्मित कर सके।
19-	परिषद की कमला नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (विस्तार) आगरा क्षेत्रफल 154-56 एकड़ अनुमानित लागत रु0 772-41 लाख।	चतुर्थ/(19)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से कमलानगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (विस्तार) के परित्याग करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आगरा का सर्वेक्षण अन्य योजनाओं हेतु प्रस्तावित किया जाये।
20-	बुलन्दशहर योजना सं0-2 बुलन्दशहर में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को निःशुल्क भूमि एवं विद्युत परिषद के स्टाफ हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(20)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत परिषद को किन शर्तों पर भूमि उपलब्ध करायी जाये इसके बारे में नीति निर्धारित करने हेतु विस्तार पूर्वक टिप्पणी परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
21-	कानपुर नगर को विशिष्ट श्रेणी घोषित करने के फलस्वरूप नगर प्रतिकर भत्ते की स्वीकृति।	चतुर्थ/(21)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	वाराणसी की तुलसीपुर तथा पाण्डेपुर योजना में अधिग्रहीत भूमि का एक्सग्रेशिया भुगतान के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(22)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष जी परिषद के उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर सभी सम्बन्धित बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त परिषद की अगली बैठक में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
23-	आवास परिषद की जनपद वाराणसी में प्रस्तावित पाण्डेपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी में स्थित अनाधिकृत निर्माणों को विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(23)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष जी परिषद के उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर सभी बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त परिषद की अगली बैठक में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1	2	3	4
24-	पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(24)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	भुवन/भूखण्ड विक्रय के लाभांश में नियम संशोधन केसम्बन्ध में।	चतुर्थ/(25)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि लाभांश के समाप्त होने पर परिषद को वित्तीय हानि होगी। अत: समस्त प्रकार के आवंटियों से अन्तरण शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाये। अत: स एवं भुवन/ भूखण्ड विक्रय के लाभांश में नियमों में संशोधन करने हेतु शासन को पत्र भेज दिया जाये।
26-	प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(26)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	विभिन्न नगरों में विभिन्न श्रेणी के भवनों निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(27)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
28-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों से वाहन भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(28)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	राजाजीपुरम योजनान्तर्गत सेक्टर-7 में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र हेतु निर्गत की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को विस्तृत प्राकलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(29)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	सिकन्दरा योजना आगरा में 33/11 के०बी०सब-स्टेशन के निर्माण हेतु सेक्टर-12 में 40×60 वर्गमीटर का एक निशुल्क भूखण्ड विद्युत परिषद को दिये जाने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(30)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31-	आवास परिषद की विभिन्न योजनाओं के अधिग्रहण हेतु वित्तीय संशोधनों के सम्बन्ध में	चतुर्थ/(31)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्य श्री योगेश बंसल, मेरठ योजना सं0-10 का निरीक्षण करलें तथा अपनी संस्तुति दें कि इस योजना में जो भूमि छोड़ दी गयी है उसमें से कितनी भूमि और परिषद हित में लिया जाना उचित होगा। ताकि उसका सर्वेक्षण कर पुन: धारा-28 का विज्ञापन किया जाये।
32-	परिषद व्दारा भवन निर्माण व भवन क्रय आदि हेतु स्वीकृत ऋण की वसूली।	चतुर्थ/(32)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	दुर्बल आय वर्ग के भवनों की लागत कम करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(33)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	अन्य उपयोगी तथा अनुसूचित जाति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की भूमि तथा अन्य मामलों की भूमि को शासन व्दारा मुक्त करने हेतु संस्तुति करने के लिये आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष अधिकारों को प्रतिनिहित करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(34)/87	परिषद व्दारा विचारो विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी कि परिषद अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार के 0-50 एकड़ तक के क्षेत्रफल भूमि का आवास आयुक्त तथा 0-50 से अधिक तथा 2-00 एकड़ के क्षेत्रफल की भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त संस्तुति करने के लिये क्रमश: आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे।

1	2	3	4
35-	आवास परिषद के गुरुतेग बहादुर नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना इलाहाबाद को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(35)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से गुरुतेग बहादुर नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना इलाहाबाद को परित्याग करने का औपचारिक निर्णय लिया गया परन्तु यह भी कहा गया कि इस योजना को पुनः प्रस्तावित करने ... की कार्यवाही की जाय।
36-	परिषद व्दारा कानपुर नगर में संचालित आवासीय योजनाओं के अव्यय के स्थित विकास एवं अवर स्तर के कार्यों के संपादन के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(36)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
37-	परिषद की कमला नगर योजना के सेक्टर-11 एवं 12 में निर्मित 102 उच्च आय वर्ग तथा सेक्टर ए0के0अन्तर्गत दु0आय वर्ग के दो मंजिले भवनों में व्याप्त अवरताओं के सम्बन्ध में।	चतुर्थ/(37)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	परिषद की योजना के अन्तर्गत विकसित आवासीय भूखण्डों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में।	चतुर्थ/(38)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद व्दारा लिये गये पूर्व निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।
39-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	चतुर्थ/(38)/87	व्यक्तिगत मामलों के बारे में शासन से प्राप्त हुये पत्रों पर अनौपचारिक विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्न प्रकार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिये गये:- 1- कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी नीति निर्धारण विषयक मामले परिषद की अगली बैठक में विचार हेतु रखे जायें। 2- जो अन्य व्यक्तिगत मामले हैं उनके बारे में आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय आपस में विचार विमर्श कर निस्तारण करलें जिन व्यक्तियों के मामले उपरोक्त प्रकार भी निस्तारित होना संभव न हो तो उनके बारे में क्या नीति अपनाई जाये-4 पर विचार विमर्श हेतु अगली बैठक में रखा जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद के समक्ष कम से कम व्यक्तिगत मामले लाये जायें। जहाँ तक संभव हो व्यक्तिगत मामले अधिकारियों के स्तर तक ही निपटाये जा सके निपटा दिये जायें। 3- परिषद की बैठक सामान्यतः माह के अंतिम सोमवार को रखी जाये। यदि सोमवार को अवकाश का दिन हो तो उसके अगले दिन रखी जायें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष

प्रेक्लीन-3-12-87